© 2018 IJSRST | Volume 4 | Issue 7 | Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X
Themed Section: Science and Technology

बौद्धिक संपदा और भारतीय शिक्षा व्यवस्था

डॉ मीना यादव
एसोसिएट प्रोफेसर (हिंदी)
बरेली कॉलेज, बरेली, उत्तर प्रदेश।

सारांश– किसी समाज की प्रगति के मूल में वहां की शिक्षा व्यवस्था होती है और प्रगति का मापदंड भी शिक्षा ही है। जो राष्ट्र शिक्षा को जितना अधिक प्रोत्साहन देगा ,वह उतना ही विकसित होगा। राष्ट्र अपने नागरिकों में किस प्रकार की मानसिक या बौद्धिक जागरूकता लाना चाहता है यह उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर निर्भर करता है। नागरिकों को मानसिक रूप से समृद्ध बनाना या आध्यात्मिक सुदृढ़ता प्रदान करना उस देश की शिक्षा नीति और उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। स्वतंत्रता के इतने वर्षों के उपरांत न देश को भौतिक रूप से समृद्ध कर सके और आध्यात्मिक रूप से। इसके पीछे के कारणों में एक प्रमुख कारण नवाचार को प्रोत्साहन न देना भी है। भौतिक संपदा के लालच में हमने बौद्धिक संपदा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया । यह विडंबना ही है कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के पाठ्यक्रम में कहीं भी बौद्धिक संपदा को स्थान नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप हमारी नई पीढ़ी बौद्धिक संपदा के महत्व को समझने में पीछे रह गई। प्रस्तुत लेख का मुख्य उद्देश्य बौद्धिक संपदा से जुड़े छोटे–छोटे व महत्वपूर्ण तथ्यों को सरलतम रूप में प्रस्तुत करना है ताकि प्रत्येक स्तर के विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सके और बौद्धिक संपदा से जुड़े अधिकारों का लाभ उठाकर भौतिक संपदा अर्जित कर सकें।

मानव सभ्यता के प्रारंभ से अब तक भौतिक और बौद्धिक संपदा दोनों ही सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी के इस युग में बौद्धिक संपदा की रक्षा करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य है। अतः बौद्धिक संपदा धारकों को जागरूक करने की भी आवश्यकता है।

संपत्ति/ संपदा- संपत्ति एक व्यापक शब्द है जो किसी व्यक्ति या व्यवसाय का कानूनी शीर्षक होता है जो मलिक को उन वस्तुओं पर कुछ लागू करने योग्य अधिकार देता है

मूर्त एवं अमूर्त संपत्ति- मूर्त संपत्ति किसी भी प्रकार की संपत्ति को कहते है जो आप तौर पर स्थानांतरित की जा सकती है, जैसे-- फर्नीचर, कपड़े ,आभूषण, कला ,लेखन या घरेलू समान।

अमूर्त संपत्ति व्यक्तिगत संपत्ति को बताती है जिसे वास्तव में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है छुआ या) महसूस नहीं किया जा सकता है। इनका वर्तमान या संभावित मौद्रिक मूल्य होता है इसीलिए इन्हें संपत्ति माना जाता है।

संपत्ति के मान्यता प्राप्त व्यापक रूप हैं ---

1, वास्तविक संपत्ति (भूमि का भूमि पर कोई सुधार)
2, व्यक्तिगत संपत्ति (किसी व्यक्ति से संबंधित भौतिक संपत्ति)
3, निजी संपत्ति (– कानूनी व्यक्तियों, व्यावसायिक संस्थाओं या व्यक्तिगत प्राकृतिक व्यक्तियों के स्वामित्व वाली संपत्ति)
4, सार्वजनिक संपत्ति (राज्य के स्वामित्व या सार्वजनिक स्वामित्व वाली और उपलब्ध संपत्ति)
5, बौद्धिक संपदा (कलात्मक कृतियों, आविष्कारों आदि पर विशेष अधिकार)

हम जो भी कुछ अपने दिमाग से नई रचना सृजित करते हैं वह हमारी बौद्धिक संपदा कहलाती है। जिस प्रकार किसी भौतिक संपदा का स्वामी होता है उसी प्रकार बौद्धिक संपदा का भी स्वामी हो सकता है। बौद्धिक संपदा अमूर्त संपत्ति या संपत्ति के एक समूह के लिए एक छत्र शब्द है जो प्रकृति में भौतिक नहीं है। बौद्धिक संपदा का स्वामित्व और कानूनी रूप से एक कंपनी द्वारा बाहरी उपयोग या सहमति के बिना क्रियान्वयन से संरक्षित रहते है बौद्धिक संपदा अधिकार इन्हीं रचनाओं के अन्यत्र उपयोग के लिए कानून द्वारा प्रदत्त किए गए अधिकार हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार एक निश्चित अवधि के लिए निर्माता या आविष्कार करता को अपने निर्माण या आविष्कार की रक्षा के लिए दिए गए कानून हैं। यह कानूनी अधिकार आविष्कार कर्ता या रचना कर्ता को एक निश्चित अवधि के लिए पुरी तरह से उपयोग करने का विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था में बौद्धिक श्रम का और अधिक महत्व हो गया है।

बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकार

1.कॉपीराइट (प्रतिलिपि अधिकार) , 2.पेटेंट, 3. ट्रेडमार्क 4.औद्योगिक डिजाइन 5.भौगोलिक संकेत

6. पादप किस्म अधिकार (PVR)/ पादप विविधता अधिकार, 7. ट्रेड ड्रेस8. एकीकृत परिपथों की टोपोलॉजी के बौद्धिक अधिकार

कॉपीराइट –कॉपीराइट एक कानूनी अधिकार है जो कानून द्वारा साहित्यिक, नाटकीय, संगीत और कलात्मक कार्यों के रचनाकारों ,छायाकारों और ध्वनि रिकॉर्डिंग के निर्माताओं को दिया जाता है। कॉपीराइट पंजीकरण भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957, संशोधित 2012 के तहत कार्य करने वाले कॉपीराइट कार्यालय द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। उन्हीं उत्पादों को यह कानूनी अधिकार प्राप्त होता है जो कॉपीराइट अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं। कॉपीराइट ऑफिस भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय मैं है।

कॉपीराइट पुस्तक ,संगीत, चित्र ,मूर्तिकला, फिल्म, डेटाबेस ,विज्ञापन, मानचित्र, तकनीकी क्षेत्र, कंप्यूटर प्रोग्राम आदि के लिए दिया जाता है।

कॉपीराइट के तहत दो प्रकार के अधिकार है-

आर्थिकअधिकार– जो अधिकार रचना का वित्तीय लाभ प्राप्त करने की अनुमति देते हैं।

नैतिकअधिकार – लेखक के गैर आर्थिक हितों का संरक्षण करते हैं।

कॉफी राइट कानूनों में मालिक को अधिकार है कि किसी कार्य के संबंध में कुछ उपयोग को अधिकृत या पूरी तरह रोक सकता है या काम के उपयोग के लिए पारिश्रमिक प्राप्त कर सकता है। कॉपीराइट में स्वामी किसी कार्य का आर्थिक अधिकार निम्नलिखित को प्रतिबंधित या अधिकृत कर सकता है–

विभिन्न रूपों में इसका पुनरुत्पादन जैसे मुद्रित प्रकाशन या ध्वनि रिकॉर्डिंग, सार्वजनिक प्रदर्शन जैसे किसी नाटक या संगीत कार्य में। रेडियो केबल उपग्रह द्वारा प्रसारण में, अन्य भाषाओं में इसका अनुवाद, उपन्यास को फिल्म की पटकथा में रूपांतरण करना।

विशेष परिस्थितियों में कॉपीराइट का उल्लंघन किए बिना कॉपीराइट सुरक्षित सामग्री का उपयोग किया जा सकता है, ये परिस्थितियां है––

1, कॉपीराइट स्वामी को श्री दिया जाए

2, उपयोग की गई सामग्री से कोई आर्थिक लाभ न लिया जाए।

3, उपयोग की गई सामग्री की प्रतिलिपि के लिए शुल्क दिया गया हो।

4, समरूप सामग्री को इंटरनेट या हार्ड कॉपी में कहीं और भी दिखा हो।

5, विचाराधीन टीवी सिनेमा या रेडियो से रिकॉर्ड किया हो।

6, विचाराधीन सामग्री के किसी पुस्तक पोस्टर या फोटोग्राफ से प्रतिलिपि बनाई हो।

7, सामग्री के मूल टेक्स्ट या अंश के साथ यह वर्णित हो के यह किसी कॉपीराइट उल्लंघन के लिए अभिप्रेत नहीं है।

8, क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस की शर्तों के अनुसार सामग्री पुन: उपयोग की गई हो।

कॉपीराइट की अवधि- भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 22 के अनुसार कॉपीराइट किसी भी साहित्यिक नाटक संगीत या कलात्मक कार्य मैं लेखक के जीवन काल के भीतर प्रकाशित होने वाले कैलेंडर वर्ष से 60 वर्ष तक की अवधि होती है।

कॉपीराइट पंजीकरण की प्रक्रिया - कॉपीराइट अधिनियम 1957 के द्वारा भारत में कॉपीराइट के पंजीकरण की प्रक्रिया निम्नवत है–

कॉपीराइट का पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन लेखक स्वयं या उसका प्रतिनिधि कर सकता है। जिसमें एक काम के लिए एक ही आवेदन होना चाहिए। कॉपीराइट कराए जाने वाले काम के आधार पर शुल्क निर्धारित किया गया है

कॉपीराइट स्वामी केअधिकार

भारत में कॉपीराइट स्वामी को अनेक अधिकार प्राप्त है–

1, वह कार्य हो किसी भी भौतिक रूप में पुन: प्रस्तुत कर सकता है

2, अपने कार्य की प्रतियां जनता को जारी कर सकता है।

3, अपने कार्य की छायांकन फिल्म मना सकता है।

4, अपने कार्य का अनुवाद या अनुशीलन कर सकता है।

इस प्रकार कॉपीराइट अधिकारों के बंडल के रूप में कार्य करता है।

पेटेंट- किसी आविष्कार के लिए दिया गया विशेषाधिकार पेटेंट चलाता है यह एक प्रक्रिया है जो सामान्य रूप में कुछ करने का नया तरीका प्रदान करता है या किसी समस्या का नए रूप में समाधान प्रदान करता है यह एक प्रकार का कानूनी अधिकार है जो आविष्कार कर्ता को दिया जाता है।

पेटेंट संरक्षण- पेटेंट संरक्षण का अर्थ है आविष्कार को पेटेंट स्वामी की सहमति बिना व्यवसायिक रूप में बनाया उपयोग वितरित आवा आयात या दूसरों द्वारा बेचा नहीं जा सकता। पेटेंट उस क्षेत्र विशेष या देश मैं लागू होता है जिसमें पेटेंट दायर किया गया है। सामान्य तौर पर पेटेंट की अवधि 20 वर्ष की होती है। पेटेंट नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करते हैं

पेटेंट का औचित्य- बौद्धिक संपदा के संरक्षण में आविष्कारों के लिए पेटेंट दिए जाते हैं अधिकांश देशों में अपने अधिकार क्षेत्र में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय व्यवस्थाएं की हैं जो किसी देश या क्षेत्र तक ही सीमित है जहां संरक्षण मांगा गया है जैसे भारत में दिया गया पेटेंट केवल भारत में ही मान्य है अमेरिका या यूरोप में नहीं।किसी आविष्कार को पेटेंट कराने का मूल कारण अविष्कार की विशिष्टता के माध्यम से धन अर्जित करना है। पेटेंट धारक अपने आविष्कार का प्रयोग स्वयं या किसी तीसरे पक्ष को लाइसेंस दे कर कर सकता है।

निम्न परिस्थितियों में पेटेंट मान्य नहीं होंगे–

1, ऐसा आविष्कार जो अस्पष्ट और पूर्व स्थापित प्राकृतिक नियमों के विपरीत है

2, ऐसा आविष्कार जो नैतिकता के विपरीत है

3, ऐसा आविष्कार जो सर्व समाज के लिए हानिकारक है

4, किसी नई संपत्ति की खोज

5, किसी प्रक्रिया, मशीन या उपकरण मात्र के उपयोग से जब तक एक नया उत्पाद न हो।

6, दिए गए उपकरण की पुनर्विवस्था या उसका दोहराना।

7, बागवानी या कृषि की एक विधि।
8, परमाणु ऊर्जा से संबंधित कोई आविष्कार
9, ऐसा आविष्कार जो पारंपरिक ज्ञान पर आधारित है और प्रचलन में है।
10, मनुष्य या पशुओं के उपचार के लिए कोई प्रक्रिया।

भारतीय पेटेंट प्रणाली औरअधिनियम- उपयोगी आविष्कारों को प्रोत्साहित करने और आविष्कारों को जनसाधारण तक पहुंचाने के उद्देश्य से पेटेंट से संबंधित भारत का पहला कानून 1856 का अधिनियम VI लागू किया गया। उपयोगी आविष्कारों के लिए विशेषाधिकार प्रदान करने के उद्देश्य 1859 में पुन: संशोधित कानून लाया गया। 1859 के अधिनियम को डिजाइनों से संबंधित सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1872 में एक अधिनियम लाया गया जिसे पैटर्न और डिजाइन संरक्षण अधिनियम का नाम दिया गया आविष्कार की नवीनता की रक्षा के लिए एक प्रावधान पेश करने के उद्देश्य से 1872 अधिनियम को 1883 XVI के रूप में संशोधित किया गया। भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम 1911 (II)ने पिछले सभी नियमों को बदल लिया इस अधिनियम में पहली बार पेटेंट प्रशासन को पेटेंट नियंत्रक के प्रबंधन में लाया गया। इस अधिनियम में संशोधन करते हुए 1930 में गुप्त पेटेंट प्रदान करने अतिरिक्त पेटेंट सरकार द्वारा आविष्कार का उपयोग पेटेंट की रजिस्टर को सुधारने के लिए नियंत्रक की शक्तियां और पेटेंट की अवधि को 14 से बढाकर 16 वर्ष के प्रावधानों को शामिल किया गया।

स्वतंत्रता के बाद यह महसूस किया जाने लगा कि भारतीय पेटेंट एवं डिजाइन अधिनियम 1911 अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रहा है । बदलती राजनैतिक और आर्थिक परिस्थितियों में इस कानून में भी बदलाव होना चाहिए अत: 1949 मैं भारत सरकार ने लाहौर उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति डॉ बक्शी के चंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया ताकि राष्ट्रहित के अनुकूल पेटेंट प्रणाली का गठन किया जा सके। समिति की रिपोर्ट के आधार पर पेटेंट और डिजाइन अधिनियम 1911 में संशोधन किया गया और अधिनियम 1950 लागू किया गया।

1957 में भारत सरकार ने पेटेंट कानून के संशोधन के लिए न्यायमूर्ति राज गोपाल अयन्गार समिति गठित की जिसके आधार पर पेटेंट विधेयक 1965 लाया गया। 1967 में फिर एक संशोधित विधेयक पेश किया गया जिसके आधार पर भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 पारित किया गया जो 1972 से लागू किया गया। इस अधिनियम में 1999 के अध्यादेश से संशोधन किया गया और है पेटेंट संशोधन अधिनियम 1999 के रूप में जाना गया। 1970 के अधिनियम में दूसरा संशोधन पेटेंट संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से किया गया।

1970 के अधिनियम में तीसरा संशोधन पेटेंट संशोधन अध्यादेश 2004 के माध्यम से किया गया इस अध्यादेश के बाद पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005 लागू किया गया।

पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 159 के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार को अधिनियम को लागू करने और पेटेंट प्रशासन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है इस आधार पर पेटेंट नियम 1972 को अधिसूचित किया गया। इमो में समय-समय पर संशोधन होते रहे और नया पेटेंट नियम 2003 लागू किया गया। इन नियमों को पेटेंट (संशोधन)नियम 2005 और पेटेंट (संशोधन) नियम 2006 द्वारा संशोधित किया गया।

ट्रेडमार्क (व्यापार चिन्ह)- ट्रेडमार्क (ब्रांड)कोई भी शब्द, वाक्यांश ,ध्वनि ,प्रतीक, डिजाइन या इन चीजों का संयोजन होता है जो आपके सामान या सेवाओं की पहचान करता है इस तरह ग्राहक आपको बाजार में पहचानते हैं और आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग करते हैं। ट्रेडमार्क एक मार्केटिंग अवधारणा है जिसमें यह शामिल है कि लोग आप के उत्पाद यह सेवा के बारे में कैसा महसूस करते हैं ग्राहक कुछ तत्वों को विभिन्न ब्रांडों के साथ जोड़ते हैं जैसे प्रतिष्ठा छवि और भावना।

एक ट्रेडमार्क

1)आपके सामान या सेवाओं के स्रोत की पहचान करता है । 2)आपके ब्रांड के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। 3) आपको जालसाजी और धोखाधड़ी से बचने में मदद करता है।

ट्रेडमार्क पंजीकरण विशेष रुप से वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में आपके ब्रांड को कानूनी रूप से सुरक्षा प्रदान करता है

ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भारत में 1940 में स्थापित की गई व्यवस्था है और वर्तमान में व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 और उसके अधीन नियमों का संचालन करती है यह एक संसाधन और सूचना केंद्र के रूप में भी कार्य करता है और देश के मैं व्यापार चिह्नो से संबंधित मामलों का विनियमन करना है ।व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 का उद्देश्य देश में आवेदन किए गए व्यापारियों को पंजीकृत करना और वस्तुओं और सेवाओं के लिए व्यापार चिन्ह की बेहतर सुरक्षा प्रदान करना और चिह्नो के कपटपूर्ण उपयोग को रोकना है रजिस्ट्री का मुख्य कार्य व्यापार चिह्नो को पंजीकृत करना है जो अधिनियम और नियमों के तहत पंजीकरण के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं।

विभिन्न प्रकार की ट्रेडमार्क है जिन्हें पंजीकृत किया जा सकता है ,जैसे -- उत्पाद चिन्ह, सेवा चिन्ह ,सामूहिक चिन्ह ,प्रमाणन चिन्ह आकृति चिह्न, ध्वनि चिह्न और पैटर्न चिन्ह।

उत्पाद चिह्न- उत्पाद चिन्ह एक ऐसा चिह्न है जो किसी सेवा के बजाए किसी उत्पाद या उत्पाद के उपयोग के लिए किया जाता है इस प्रकार की ट्रेडमार्क का उपयोग उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए किया जाता है और व्यवसाय की प्रतिष्ठा को बनाए रखने में मदद करता है।

ट्रेडमार्क वर्ग क्या है- प्रत्येक ट्रेडमार्क वर्ग वस्तुओं और सेवाओं के एक अलग सेट का प्रतिनिधित्व करता है।

ट्रेडमार्क पंजीकरण आवेदन दाखिल करते समय, विसंगतियों से बचने के लिए ट्रेडमार्क खोज करना आवश्यक है। ट्रेडमार्क का सही वर्ग चुनना आवश्यक है

ट्रेडमार्क आवेदन एक से अधिक वर्गों में दायर किए जा सकते हैं यदि व्यवसाय की गतिविधि में विभिन्न ट्रेडमार्क वर्गीकरण के अंतर्गत आने वाले विभिन्न सामान या सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा, भले ही एक पंजीकृत ट्रेडमार्क एक वर्ग के तहत मौजूद हो, दूसरी इकाई उसी चिह्न के लिए किसी अन्य वर्ग के तहत ट्रेडमार्क आवेदन दाखिल कर सकती है।

इसलिए, एक वर्ग के तहत ट्रेडमार्क आवेदन दाखिल करना चिह्न के उपयोग पर पूर्ण विशिष्टता प्रदान नहीं करता है। ट्रेडमार्क में केवल उन वस्तुओं या सेवाओं के वर्ग से संबंधित चिह्न के उपयोग की विशिष्टता शामिल है जिनके लिए ट्रेडमार्क पंजीकृत है। 80,000 से अधिक वस्तुओं और सेवाओं से अपने सामान या सेवा के लिए सही ट्रेडमार्क वर्ग खोजने के लिए ट्रेडमार्क वर्ग खोजक उपकरण का उपयोग करें।

ट्रेडमार्क वर्गीकरण का आधार

माल का ट्रेडमार्क वर्गीकरण

इसके कार्य और उद्देश्य के अनुसार, एक तैयार उत्पाद को वर्गीकृत किया जाता है। मान लीजिए कि उत्पाद का उल्लेख किसी भी वर्ग में नहीं है, तो इसकी तुलना सूची में दर्शाए गए अन्य तैयार उत्पादों से की जाती है।

एक बहुउद्देश्यीय उत्पाद को सभी वर्गों में पहचाना जा सकता है जो इसके किसी भी कार्य के अनुरूप हैं। यदि उन कार्यों का किसी वर्ग में उल्लेख नहीं किया गया है तो अन्य मानदंड जैसे उत्पादों का कच्चा माल या इसके संचालन का तरीका।

सेवाओं का ट्रेडमार्क वर्गीकरण

सेवाओं को सेवा वर्गों के शीर्षकों और व्याख्यात्मक टिप्पणियों में निर्दिष्ट गतिविधियों की शाखाओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

किराये की सेवाओं को उसी श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

सलाह, सूचना, या परामर्श प्रदान करने वाली सेवा को उसी श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें सलाह, सूचना या परामर्श की विषय–वस्तु से संबंधित सेवाएं होती हैं।

सेवा चिन्ह- सेवा चिह्न उत्पाद चिह्न के समान है लेकिन सेवा चिह्न का उपयोग किसी उत्पाद के बजाय किसी सेवा का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। सर्विस मार्क का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह अपने मालिकों को अन्य सेवाओं के मालिकों से अलग करता है। ट्रेडमार्क वर्ग 35–45 के तहत दायर ट्रेडमार्क आवेदनों को सेवा चिह्न कहा जा सकता है, क्योंकि वे सेवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सामूहिक चिह्न- सामूहिक चिह्न का उपयोग जनता को किसी उत्पाद या सेवा की कुछ विशिष्ट विशेषताओं के बारे में सूचित करने के लिए किया जाता है जिसका उपयोग सामूहिक का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। व्यक्तियों का एक समूह इस चिह्न का उपयोग कर सकता है ताकि वे सामूहिक रूप से किसी वस्तु या सेवा की रक्षा कर रहे हों। मार्क होल्डर एक एसोसिएशन हो सकता है या एक सार्वजनिक संस्थान हो सकता है या एक सेक्शन 8 कंपनी भी हो सकता है ।सामूहिक चिह्न में, आमतौर पर उत्पादों के मानकों को नियामक द्वारा चिह्न के कारण तय किया जाता है। सामूहिक से जुड़े अन्य लोगों को व्यवसाय के दौरान चिह्न का उपयोग करते समय कुछ मानकों का पालन करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। भारत में एक सामान्य रूप से ज्ञात सामूहिक चिह्न चार्टर्ड एकाउंटेंट पदनाम है।

प्रमाणन चिह्न- प्रमाणन चिह्न एक संकेत है जो किसी उत्पाद की उत्पत्ति, सामग्री, गुणवत्ता या अन्य विशिष्ट विवरणों को दर्शाता है जो मालिक द्वारा जारी किए जाते हैं। प्रमाणन चिह्न का मुख्य उद्देश्य उत्पाद के मानक को सामने लाना और ग्राहकों को उत्पाद की गारंटी देना है। एक प्रमाणन चिह्न का उपयोग ग्राहकों के बीच उत्पाद के मानक को ऊपर उठाने के लिए भी किया जा सकता है, यह दिखाते हुए कि उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानक परीक्षण किए गए थे। सर्टिफिकेशन मार्क आमतौर पर पैक किए गए खाद्य पदार्थों, खिलौनों और इलेक्ट्रॉनिक्स पर देखे जाते हैं।

शेप मार्क- शेप मार्क का उपयोग विशेष रूप से उत्पाद के आकार की रक्षा के लिए किया जाता है ताकि ग्राहक इसे एक निश्चित निर्माता से संबंधित पाते हैं और उत्पाद खरीदना पसंद करते हैं। किसी विशेष उत्पाद के आकार को तब पंजीकृत किया जा सकता है जब उसे एक उल्लेखनीय आकार के रूप में पहचाना जाता है। आकार का एक उदाहरण कोका–कोला बोतल या फैंटा बोतल है, जिसका ब्रांड के साथ एक विशिष्ट आकार की पहचान होती है।

भारत में ट्रेडमार्क पंजीकरण के प्रकार- विभिन्न प्रकार के ट्रेडमार्क पंजीकृत किए जा सकते हैं जैसे उत्पाद चिह्न, सेवा चिह्न, सामूहिक चिह्न, प्रमाणन चिह्न, आकृति चिह्न, ध्वनि चिह्न, सामूहिक चिह्न, प्रमाणन चिह्न, आकृति चिह्न, ध्वनि चिह्न और पैटर्न चिह्न। हालांकि कई ट्रेडमार्क हैं, उनके लिए उद्देश्य वही है जो उपभोक्ताओं को कुछ निर्माताओं या सेवा प्रदाताओं द्वारा निर्मित वस्तुओं और सेवाओं की पहचान करने में सक्षम बनाता है। भारत में विभिन्न प्रकार के ट्रेडमार्क पंजीकरण–

उत्पाद चिह्न एक उत्पाद चिह्न का उपयोग किसी सेवा के बजाय किसी वस्तु या उत्पाद पर किया जाता है। एक उत्पाद चिह्न उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने में मदद करता है और व्यवसाय की प्रतिष्ठा को बनाए रखने में मदद करता है। ट्रेडमार्क 1–34 के तहत दायर किए गए ट्रेडमार्क अनुप्रयोगों को उत्पाद चिह्न कहा जा सकता है क्योंकि वे माल का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सेवा मार्क सेवा मार्क एक उत्पाद का निशान के समान है लेकिन सेवा चिह्न एक उत्पाद के बजाय एक सेवा का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। सर्विस मार्क का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह प्रोपराइटर को अन्य समान सेवाओं के मालिकों से अलग करने में मदद करता है। ट्रेडमार्क आवेदन ट्रेडमार्क वर्ग 35–45 के तहत दायर किए जाते हैं जिन्हें सेवा चिह्न कहा जा सकता है क्योंकि वे सेवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

सामूहिक मार्क सामूहिक निशान सूचित सेवा उत्पादों के कुछ विशिष्ठ सुविधाओं और है कि एक सामूहिक प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयोग किया जाता है के बारे में जनता। व्यक्तियों का एक समूह इस चिह्न का उपयोग कर सकता है ताकि वे सामूहिक रूप

से वस्तुओं और सेवाओं की रक्षा कर सकें। मार्क होल्डर एक एसोसिएशन हो सकता है या यह एक सार्वजनिक संस्थान या एक सेक्शन 8 कंपनी भी हो सकता है।

प्रमाणन चिह्न यह एक संकेत है जो उत्पाद की उत्पत्ति, सामग्री, गुणवत्ता या अन्य विशिष्ट विवरणों को दर्शाता है जो मालिक द्वारा जारी किए जाते हैं। प्रमाणन का मुख्य उद्देश्य उत्पाद के मानक को लाना है और ग्राहकों को उत्पाद की गारंटी भी देना है, यह दिखाते हुए कि उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानक परीक्षण किए गए हैं। प्रमाणन चिह्न आमतौर पर पैक किए गए खाद्य पदार्थों, खिलौनों और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों पर देखे जाते हैं।

आकार चिह्न आकृति चिह्न का उपयोग विशेष रूप से उत्पाद के आकार की रक्षा के लिए किया जाता है ताकि ग्राहक इसे एक निश्चित निर्माता के साथ संबंधित पाते हैं और उत्पाद खरीदना पसंद करते हैं। उत्पाद के आकार को तब पंजीकृत किया जा सकता है जब यह पहचान लिया जाता है कि उत्पाद का आकार उल्लेखनीय है।

पैटर्न चिह्न पैटर्न चिह्न उन उत्पादों के लिए होते हैं जिनमें एक निर्दिष्ट डिज़ाइन पैटर्न होता है जो उत्पाद के विशिष्ट कारक के रूप में सामने आता है। उल्लेखनीय अंक के रूप में बाहर खड़े होने में विफल होने वाले पैटर्न को खारिज कर दिया जाता है। पंजीकृत होने के लिए एक पैटर्न चिह्न के लिए इसे अद्वितीय के रूप में खड़ा होना चाहिए।

ध्वनि चिह्न एक ध्वनि चिह्न एक ध्वनि है जिसे किसी उत्पाद या सेवा से जोड़ा जा सकता है जो एक निश्चित आपूर्तिकर्ता से उत्पन्न होता है। ध्वनि लोगो को ऑडियो निमोनिक्स भी कहा जाता है और वे वाणिज्यिक के अंत की शुरुआत में प्रतीत होते हैं। भारत में सबसे लोकप्रिय ध्वनि चिह्न आईपीएल की धुन है।

ट्रेडमार्क पंजीकरण प्राप्त करने के लाभ- ट्रेडमार्क पंजीकरण प्राप्त करने के कई कारण हैं लेकिन अधिकांश सभी कंपनियों और इच्छुक उद्यमियों के लिए आवश्यक हैं क्योंकि यह कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में कार्य करता है। ट्रेडमार्क पंजीकरण प्राप्त करने और सेवाओं का उपयोग करने के कई फायदे हैं। यहाँ कुछ फायदे हैं।

बौद्धिक सम्पति की सुरक्षा

ट्रेडमार्क पंजीकरण कंपनी के नाम या पंजीकृत लोगो के दुरुपयोग या कॉपी के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। ट्रेडमार्क के मालिक को ट्रेडमार्क का स्वामित्व प्राप्त होता है जिसे किसी भी अदालत में कानूनी रूप से बरकरार रखा जा सकता है। ट्रेडमार्क पंजीकृत करने से ट्रेडमार्क के स्वामी को उस चिह्न का राष्ट्रव्यापी स्वामित्व प्राप्त होता है जिसे किसी भी अदालत में कानूनी रूप से बरकरार रखा जा सकता है।एक ट्रेडमार्क पंजीकरण एक आधिकारिक सूचना देता है कि ट्रेडमार्क पहले से ही स्वामित्व में है।

शक्तिशाली निवारक एक ट्रेडमार्क स्वामी को एक पंजीकृत ट्रेडमार्क के रूप में सार्वजनिक रूप से ब्रांड का विज्ञापन करने का अधिकार प्राप्त होता है जो दूसरों को सचेत करता है और निर्दोष उल्लंघन के बचाव को रोकता है। एक बार ट्रेडमार्क पंजीकृत हो जाने पर ट्रेडमार्क खोज रिपोर्ट में दिखाई देगा जो अन्य आवेदकों को समान या समान चिह्न पंजीकरण के साथ आगे बढ़ने से हतोत्साहित करेगा।यदि आप ट्रेडमार्क पंजीकृत करने वाले पहले व्यक्ति हैं तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय ट्रेडमार्क कार्यालय किसी भी ऐसे ट्रेडमार्क के पंजीकरण से इंकार कर देगा जो ऐसे किसी अन्य ट्रेडमार्क को भ्रमित करने वाला लगता है।

ट्रेडमार्क जर्नल प्रकाशन- जब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार पंजीकरण आवेदन स्वीकार करता है, तो प्रस्तावित ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क जर्नल में प्रकाशित होता है। यह पत्रिका साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होती है और इसमें वे सभी ट्रेडमार्क शामिल हैं जो रजिस्ट्रार को प्राप्त हुए हैं। साथ ही, जनता ट्रेडमार्क पंजीकरण पर आपत्ति कर सकती है यदि उन्हें लगता है कि पंजीकरण उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। यदि प्रकाशन के 90 दिनों के भीतर कोई आपत्ति नहीं है, तो अंक 12 सप्ताह के भीतर दर्ज किया जाएगा। यदि आवेदन को किसी तीसरे पक्ष द्वारा विरोध का सामना करना पड़ता है, तो ट्रेडमार्क सुनवाई अधिकारी द्वारा सुनवाई की मांग की जाएगी। आवेदक और विरोधी दोनों के पास क्रमशः उपस्थित होने और अपना पक्ष रखने का अवसर है। सुनवाई और प्रस्तुत साक्ष्य के

आधार पर, ट्रेडमार्क सुनवाई अधिकारी यह निर्धारित करेगा कि आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए या अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। हालाँकि, सुनवाई अधिकारी के निर्णय को एस्केलेटिंग अधिकारी द्वारा भी चुनौती दी जा सकती है।

यदि कोई आपत्ति या विरोध नहीं है, तो केवल ट्रेडमार्क पांडुलिपि और ट्रेडमार्क पंजीकरण तैयार और जारी किया जाएगा। ट्रेडमार्क पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होने के बाद ही, ट्रेडमार्क को स्वामी का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क माना जाता है, जो स्वामी को चिह्न के कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है। ® प्रतीक को अब लोगो या ट्रेडमार्क पर रखा जा सकता है।

औद्योगिक डिजाइन- औद्योगिक डिजाइन एक लेख के सजावटी या सौंदर्य पहेलू से संबंध रखता है इसमें त्रेआयामी विशेषताएं शामिल हो सकती हैं एक लेख का आकार या दो आयामी विशेषताएं जैसे पैटर्न, रेखाएं या रंग।

औद्योगिक डिजाइन पेटेंट कानून के अंतर्गत डिजाइन पेटेंट के रूप में संरक्षित है। विशेष राष्ट्रीय कानून और डिजाइन के प्रकार के आधार पर औद्योगिक डिजाइनों को कॉपीराइट कानून के तहत संरक्षित किया गया है। औद्योगिक डिजाइन उद्योग और सेल्फ हस्तशिल्प वस्तुओं के उत्पादों की एक विस्तृत विविधता पर लागू होते हैं जैसे पैकेज और कंटेनर से लेकर फर्निशिंग और घरेलू सामान तक, प्रकाश उपकरण से लेकर गहनों तक तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लेकर वस्त्रों तक। औद्योगिक डिजाइनों के संरक्षण की अवधि अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती है और सीमित अवधि के लिए होती है जो कम से कम 10 वर्ष हो सकती है। और औद्योगिक डिजाइन की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अलग-अलग देशों में पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है।औद्योगिक डिजाइन अधिकार मालिक को प्राप्त कानूनी अधिकार हैंजो किसी उत्पाद की उपस्थिति या सौंदर्य संबंधी विशेषताओं की रक्षा करता है जबकि पेटेंट ऐसे आविष्कार की रक्षा करता है जो किसी समस्या का नया तकनीकी समाधान प्रदान करता है अर्थात औद्योगिक डिजाइन अधिकार का तकनीकी विशेषताओं से कोई संबंध नहीं है।

औद्योगिक डिजाइन अधिकार से व्यवसाय पर प्रभाव

औद्योगिक डिजाइन संरक्षण के मुख्य कारण हैं--

1. औद्योगिक संरक्षण कम से कम 10 वर्षों के लिए विशेषाधिकार प्रदान करता है ताकि दूसरों को व्यवसायिक रूप से शोषण करने या डिजाइन की नकल करने से रोका जा सके।
2. औद्योगिक डिजाइन कंपनी के ब्रांड का एक महत्वपूर्ण अवयव हो सकता है इसकी रक्षा करना कंपनी के ब्रांड की सुरक्षा में योगदान देता है।
3. औद्योगिक संरक्षण ऐसा अधिकार है जिसे किसी अन्य व्यवसाय को बेचा जा सकता है या लाइसेंस दिया जा सकता है जो अधिकारों के स्वामी के लिए आय का स्रोत हो सकता है
4. औद्योगिक डिजाइन अधिकार एक कंपनी की सकारात्मक छवि को व्यक्त करने उसे बढ़ाने में मदद करता है
5. औद्योगिक डिजाइन संरक्षण नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहन देता है।

भौगोलिक संकेत(GI)- एक भौगोलिक संकेत किसी विशेष क्षेत्र राज्य देश के उत्पाद निर्माता या व्यवसायियों के समूह को अच्छी गुणवत्ता के औद्योगिक प्राकृतिक वस्तुओं को बनाने कृषि क्षेत्र के लिए दिया जाता है जीआई टैग भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण)एक्ट 1999 के अनुसार जारी किए जाते हैं। यह टैग भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किए जाते हैं जो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है

एक भौगोलिक संकेत एक ऐसा नाम या प्रतीक होता है जिसे कृषि ,प्राकृतिक मशीनरी और मिठाई आदि से संबंधित उत्पादों के लिए किसी क्षेत्र विशेष के किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के संगठन को दिया जाता है। यह विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति को प्रदर्शित करता है जिसमें उस क्षेत्र विशेष की विशेषताएं और प्रतिष्ठा भी पाईं जाती है।एक संरक्षित भौगोलिक संकेत धारा किसी दूसरे व्यक्ति को उसी तकनीकी से इस उत्पाद को बनाने से नहीं रोक सकता लेकिन नकल करने वाला व्यक्ति उस संकेत का उपयोग

नहीं कर सकता।भौगोलिक संकेत का मूल उद्देश्य दूसरे लोगों द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेत के अनाधिकृत उपयोग को रोकना है। इस के दो मुख्य उद्देश्य हैं --

1, भौगोलिक संकेत किसी क्षेत्र के उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए एक प्रतीक या संकेत है।

2, भौतिगिक संकेत टैग की मदद से कृषि, प्राकृतिक या निर्मित वस्तुओं की अच्छी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। जैसे दार्जिलिंग चाय (कृषि) पश्चिम बंगाल, चंदेरी साड़ी (हथकरघा)मध्य प्रदेश , मैसूर सिल्क (हथकरघा) कर्नाटक। कश्मीरी केसर को जीआई टैग ,ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने डायरेक्टरेट ऑफ़ एग्रीकल्चर जम्मू कश्मीर सरकार ने दिया है। एक भौगोलिक संकेत का पंजीकरण केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए मान्य होता है जो पुन:10 वर्षों की अवधि के अंतराल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

भौगोलिक संकेत किसी विशेष क्षेत्र या राज्य की सार्वजनिक संपत्ति है अत: से दूसरों को सौंपा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है केवल उत्तराधिकारी को हस्तांतरित किया जाता है।

पादप किस्म अधिकार(PVR)/ पादप विविधता अधिकार

पादप विविधता अधिकार, बौद्धिक संपदा का एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रूप है इसका उपयोग अद्वितीय पौधों की किस्मों की रक्षा के लिए किया जाता है। पीवीआर सैद्धांतिक रूप से कॉपीराइट और पेटेंट के समान है। संयंत्र विविधता और किसान अधिकार अधिनियम 2001, भारत में पौधों के प्रजनकों, शोधकर्ताओं और किसानों को बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है

यह पादप प्रजनन में नवाचार को बढ़ावा देती है यह सुनिश्चित करके पीवीआर प्रदान की जाने वाली किस्में भविष्य के प्रजनन कार्यक्रमों में उपयोग के लिए दूसरों के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। इस प्रक्रिया को ब्रीडर की छूट के रूप में भी जाना जाता है।

पेड़ लताओ और आलू के लिए पादप किस्म अधिकार की अवधि 18 वर्ष है और से सभी के लिए 15 वर्ष।

पीपीवी और एफआर अधिनियम 2001 के तहत दिया गया बौद्धिक संपदा अधिकार दौहरा अधिकार है-एक किस्म के लिए और दूसरा ब्रीडर द्वारा इसे सौपे गए मूल्य वर्ग के लिए है। किस अधिनियम के तहत दिए गए अधिकार विरासत में मिले और सौपे जाने योग्य है और केवल एक पौधे की किस्म का पंजीकरण ही अधिकार प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मो को भी पंजीकृत किया जा सकता है और यह नई हो सकती है। किसान गैर ब्रांडेड तरीके से एक पंजीकृत किस्म के बीज सहित अपनी कृषि उपज को बचाने उपयोग करने ,बोने, फिर से बोले ,विनिमय करने या बेचने का हकदार है।

ट्रेड ड्रेस

भारत में व्यापार पोशाक संरक्षण

व्यापार पोशाक उत्पादों की एक दृश्य उपस्थिति को संदर्भित करता है जिसमें पैकेजिंग, आकार और रंगों का संयोजन होता है जिसे व्यवसाय और सेवाओं के संदर्भ में पंजीकृत क्या संरक्षित किया जा सकता है। यह उपभोक्ताओं को उत्पाद की पहचान करने और अन्य उत्पादों से अलग करने में मदद करता है। इसका मुख्य उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं को नकल से बचाना है।

भारत में ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत ट्रेड ड्रेस की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है, कालांतर में बौद्धिक संपदा कानूनों में विकास के कारण एक नए संशोधन ने ट्रेड अधिनियम की धारा 2 के तहत ट्रेड ड्रेस को परिभाषित करते हुए ट्रेड ड्रेस सुरक्षा को मान्यता प्रदान की। ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 2 में यह प्रावधान किया गया की एक चित्रमय प्रतिनिधित्व और उत्पाद का समग्र स्वरूप एक व्यक्ति की वस्तुओं और सेवाओं को अन्य व्यक्तियों से अलग करता है।

एकीकृत परिपथों की टोपोलॉजी के बौद्धिक अधिकार- टोपोलॉजी नेटवर्क की आकृति या लेआउट को कहा जाता है। नेटवर्क के विभिन्न रोड किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हैं तथा कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं उस नेटवर्क की

टोपोलॉजी ही निर्धारित करती है यह फिजिकल यार लॉजिकल हो सकता है। कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने और उसमें डेटाफ्लो की विधि टोपोलॉजी कहलाती है टोपोलॉजी किसी नेटवर्क में कंप्यूटर के ज्यामिति व्यवस्था को कहते हैं।इंटीग्रेटेड सर्किट आमतौर पर चिप्स या माइक्रोचिप्स के रूप में जाना जाता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मैं ट्रांजिस्टर डायोड औरप्रतिरोध को एक पतली अर्धचालक सामग्री की सतह पर एक निश्चित क्रम में एकत्रित किया जाता है।

आधुनिक तकनीक में इंटीग्रेटेड सर्किट विद्युत उत्पादकों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए आवश्यक तत्व हैं जिसमें रोजमर्रा की उपयोग के लेख जैसे घड़ियां, टेलीविजन , वाशिंग मशीन और कार, कंप्यूटर, स्मार्टफोन और अन्य डिजिटल डिवाइस सामिल है। अधिक कार्यों के साथ छोटे डिजिटल उपकरणों के उत्पादन के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट के लेआउट डिजाइन विकसित करना आवश्यक होता है। नए लेआउट डिजाइन का निर्माण आमतौर पर वित्तीय दृष्टि से और योग्य विशेषज्ञ के समय के संदर्भ में भारी निवेश का परिणाम होता है। लेआउट डिजाइन की अनाधिकृत प्रतिलिपि को रोकने के लिए और इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए एकीकृत सर्किट के लेआउट डिजाइन (स्थलाकृति) को एक सुई जेनरिक बौद्धिक संपदा प्रणाली(sui generis intellectual property system) के तहत संरक्षित किया जाता है।

एक इंटीग्रेटेड सर्किट के लेआउट डिजाइन को संरक्षित किया जा सकता है यदि रचनाकार कि अपनी मूल रचना है और अपने बौद्धिक प्रयास का परिणाम है और रचना करते समय लेआउट डिजाइन ओं के निर्माताओं और इंटीग्रेटेड सर्किट के निर्माताओं के बीच प्रसिद्ध नहीं है। सामान्य रूप में एक अधिकार धारक के पास संरक्षित लेआउट डिजाइन ओं का व्यवसायिक रूप में उपयोग करने से दूसरों को रोकने का विशेष अधिकार होता है अर्थात अधिकारिक या रचना का स्वामी के प्राधिकरण के बिना मूल लेआउट डिजाइन को आंशिक या पूर्ण रूप से वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पूरी तरह प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।एकीकृत परिपथों के लेआउट डिजाइन ओं के लिए सामान्य तौर पर 10 वर्ष की न्यूनतम सुरक्षा प्रदान की गई है और यह अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग होती है।

प्रायर इंटीग्रेटेड सर्किट के लेआउट डिजाइन को औद्योगिक डिजाइन नहीं माना जाता है क्योंकि बे इंटीग्रेटेड सर्किट के बाहरी स्वरूप को निर्धारित नहीं करते अपितु इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन वाले प्रत्येक अवयव के इंटीग्रेटेड सर्किट के भीतर भौतिक स्थान निर्धारित करते हैं।एकीकृत परिपथ ओके लेआउट डिजाइन आमतौर पर पेटेंट योग्य आविष्कार भी नहीं होते क्योंकि उन्हें बनाने में आमतौर पर एक आविष्कारनहीं होता।

लेआउट डिजाइन को कॉपीराइट के अंतर्गत भी संरक्षित नहीं किया जा सकता।

इंटीग्रेटेड सर्किट के संबंध में बौद्धिक संपदा को प्रभावी ढंग से संरक्षित करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट के विभिन्न पहलुओं को विभिन्न प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकारों द्वारा पूरक तरीके से संरक्षित किया जाता है।

निष्कर्ष /सुझाव/संस्तुतियां

मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही भारत अपनी शिक्षा और दर्शन के लिए जाना जाता रहा है। भारतीय संस्कृति ले सदैव ही संसार का पथ प्रदर्शन किया है। प्रत्येक कालखंड में भारतीय शिक्षा के उद्देश्य अलग-अलग रहे हैं जैसे चरित्र निर्माण ,व्यक्तित्व विकास, सामाजिक कर्तव्यों का विकास, सामाजिक कुशलता और जीवन की उन्नति, भारतीय संस्कृति का संरक्षण, विवेक का विस्तार, नए ज्ञान के लिए इच्छा जागृत करना, जीवन का अर्थ समझना, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना, उत्पादन की वृद्धि करना सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का विकास देश का आधुनिकीकरण करना सामाजिक नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। कुशल और समृद्धिशाली जीवन यापन करना हर युग में शिक्षा का मूल आधार रहा है। क्योंकि बौद्धिक संपदा और शिक्षा का अटूट संबंध होता है अत: शिक्षा जगत में शिक्षक और शिक्षार्थियों को बौद्धिक संपदा के बारे में जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। बौद्धिक संपदा से संबंधित उपरोक्त परिभाषाओं व्याख्यानों, नियम/ अधिनियमों से स्पष्ट है कि छात्र छात्राओं को प्राथमिक स्तर से ही कॉपीराइट, पेटेंट, औद्योगिक डिजाइन भौगोलिक संकेतों का ज्ञान कराना अत्यावश्यक है। छात्रों में नए-नए

विचार ,नई–नई योजनाएं, महत्वपूर्ण कल्पनाएं उनके क्रियान्वयन हेतु योजनाएं उनके दिमाग की उपज होती हैं जिन्हें बौद्धिक संपदा के रूप में पेटेंट या कॉपीराइट कराया जा सकता है और भविष्य में इस बौद्धिक संपदा से अकूत भौतिक संपदा पैदा की जा सकती है इससे शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होगा और छात्रों का सामाजिक/आर्थिक स्तर भी।अत: प्राथमिक स्तर से शिक्षा के उच्चतम स्तर तक बौद्धिक संपदा को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

संदर्भ

1. www.inhindiall.com
2. http://www.wikipedia.org
3. www.ipindia.gov.in
4. www.ipindia.nic.in
5. http://copyright.gov.in
6. www.indiafilings.com
7. www.wto.org.traslate.goog/english
8. http://www.wipo.int
9. www.youtube.com